न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

110

प्रकरण कं. ~~589-I/2012~~ निगरानी

B 589-I/2012 निग.

रमेश चौधरी पुत्र श्री प्रभूदयाल चौधरी निवासी बडौदा रोड श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.) ..... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.8.16 के निर्देशानुसार पुनरीक्षण प्र.कं. 589–I/2012 को पुनः सुनवाई में लिये जाने बावत आवेदन।

माननीय महोदय,

Reader

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तत किया था जो प्र.कं. 589–I/12 निग. पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 26.6.12 द्वारा ग्राहग्यता पर ही निरस्त कर दिया था।

2– यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.6.12 के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन याचिका पेश की थी जो आदेश दिनांक 16.8.16 द्वारा निराकृत कर माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 26.6.12 निरस्त कर पुनरीक्षण प्र.कं. 589–I/12 को पुनः सुनवाई में लेकर गुणदोषों पर निराकृत किये जाने बावत निर्देश दिया गया है उक्त आदेश की फोटोप्रति संलग्न है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.8.16 के पालन में पुनरीक्षण प्र.कं. 589–I/12 को अभिलेखागार से तलब कर पुनः सुनवाई में लिया जाकर उक्त पुनरीक्षण को गुण दोषों पर निराकृत किये जाने की कृपा की जावे।

स्थान– ग्वालियर
दिनांक 05.09.2016

निवेदक
रमेश चौधरी .... आवेदक
द्वारा अभिभाषक

मुकेश भार्गव एडवोकेट

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 589–एक/2012 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3 –01–2017	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक शासन के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 31/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा संक्षिप्त तथ्य बताये गये कि तहसील श्योपुर के ग्राम नागदा में स्थित विवादित भूमि सर्वे कं0. 78/1 रकवा 08 बीघा 09 विस्वा जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी रामभरोषी पुत्र गजानंद थे रामभरोसी की मृत्यु हो जाने के उपरांत आवेदक द्वारा बसीयतनामा के आधार पर वाद भूमि पर अपने नाम नामांतरण कराये जाने बावत आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया जो प्र.क्रं. 301/09–10/अ–6 पर दर्ज कर आदेश दिनांक 27.09.2010 से आवेदन पत्र इस आधर पर निरस्त कर दिया कि वसीयत की गई भूमि शासन से प्राप्त भूमि है और इसका अंतरण म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। आदेश दिनांक 27.9.10 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील पेश की जो आदेश दिनांक 12.11.2010 से निरस्त कीगई। उक्त आदेश के विरूद्ध	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो आदेश दिनांक 15.12.2011 से निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.6.2012 द्वारा आवेदक की निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर ही निरस्त कर दी थी। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट याचकिा कं. 3424/2014 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 16.8.2016 द्वारा स्वीकार कर माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 26.6.12 निरस्त कर पुनः इस न्यायालय को सुनवाई हेतु निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में पुनः दिनांक 5.9.16 को आवेदक के आवेदन पर मूल निगरानी प्र.कं. 589–एक/12 सुनवाई में लेकर दिनांक 23.09.2016 को उभय पक्ष अभिभाषक के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा रामभरोषी को 40–45 वर्ष पहले हुआ था। रामभरोषी द्वारा अपने वारिसों की मौजूदगी में अपने जीवनकाल में दिनांक 23.12.09 को उक्त भूमि का वसीयतनामा आवेदक रमेश चौधरी के पक्ष में लेख कराया था। वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरांत आवेदक ने मृतक रामभरोषी के स्थान पर वसीयत के आधार पर अपने नाम नामांतरण कराने बावत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया था विचारण न्यायालय में आवेदक ने वसीयत को साक्षियों के कथन से प्रमाणित कराया था वसीयत के खण्डन में कोई साक्ष्य या आपत्ति पेश नहीं हुई थी उसके बावजूद विचारण न्यायालय ने आवेदक के नामांतरण आवेदन को निरस्त कर वैधानिक त्रुटि की थी।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 589–एक/2012 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि रामभरोषी को वाद भूमि का वर्ष 1970 के आसपास पट्टा हुआ था उसके पश्चात वह भूमिस्वामी भी घोषित किया जा चुका था जबकि संहिता की धारा 165 (7–ख) दिनांक 24.10.80 को अंतःस्थापित की गई है जिसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में पूर्व में किए गए पट्टों की भूमि अंतरणों पर लागू नहीं होती। यह तर्क दिया गया कि आवेदक के पक्ष में वाद भूमि की गई वसीयत मृतक रामभरोषी की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है। एवं वाद भूमि का आवेदक के पक्ष में विक्रय पत्र न होकर बसीयत से प्राप्त भूमि है इस कारण भी संहिता की धारा 165 (7–ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह तर्क दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में सहिता की धारा 165 (7–ख) को मान्य नही करते हुये उक्त प्रकरण का गुण दोषों पर निराकरण करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यावर्तित किया है। यह तर्क दिया गया कि न्याय दृष्टांत 2013 आर.एन. 8 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) के उपबंध उक्त धारआों के अंतःस्थापन के पूर्व पट्टों तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए प्रकरणों में लागू नहींहोगी – क्योंकि उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है उक्त न्याय दृष्टांत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त किये जाने तथा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । 5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में ग्राम नागदा में स्थित वाद भूमि सर्वे कं. 78/1 रकवा 8 बीघा 09 विस्वा रामभरोषी को वर्ष 1970 में बंटन में दी गई थी और वर्ष 1975 में उसे भूमिस्वामी अधिकारें का पट्टा दिया जाकर भूमिस्वामी घोषित किया गया है। रामभरोषी ने उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 23.12.09 को आवेदक के पक्ष में लेख कराई थी रामभरोषी की मृत्यु के बाद वसीयतनामा के आधार पर आवेदक ने अपने नाम नामांतरण कराने बावत आवेदन दिया था जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की थी यहां तक की रामभरोसी के मौजूद वारिशों ने भी कोई आपत्ति नहीं की उसके बाद भी नामांतरण आवेदन निरस्त कर दिया जिसकी पुष्टि अधीनस्थ अपीली न्यायलायों ने भी कर दी इस न्यायालय द्वारा भी पूर्व में अपने आदेश दिनांक 26.6.2012 द्वारा उक्त निगरानी निरस्त कर दी थी जिसे उच्च न्यायालय ने पुनः सुनवाई हेतु वापिस किया है आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.8.16 का आधार लेते हुये एवं न्याय दृष्टांत 2013 आर.एन. 8 को उद्धरित किया गया है उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 165(7–ख) के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 165(7–ख) तथा 158(3) के उपबंध पूर्व के	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 589–एक/2012 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पट्टे तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए प्रकरणों में लागू नहीं होगी। क्योंकि इन उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है। अतः इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.16 के निर्देशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय का उक्त न्याय दृष्टांत 2013 आर. एन. 8 पूरी तरह लागू होता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में अधीनस्थ तीनों न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2011, अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.10 एवं तहसीलदार श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2010 निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार श्योपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि वाद भूमि सर्वे कं. 78/1 रकवा 8 बीघा 9 विस्वा भूमि पर प्रकरण लंबनकाल अवधि में यदि किसी व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है तब उसे काटा जाकर बसीयत के आधार पर वाद भूमि पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज कर अभिलेख संशोधित करें। सदस्य	